+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS
(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस)

(January 2024)

(Part II)

TOPICS TO BE COVERED

- विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक माहौल में नाजुक संतुलन
- भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक माहौल में नाजुक संतुलन:

मुद्दा क्या है?

- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2023 भारत के नियामक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर के यह अधिनियम विनियामक प्रवर्तन और एक अनुकूल व्यावसायिक माहौल बनाने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह अभूतपूर्व पहल भारत में व्यापार करने में आसानी को नये रूप में ढालने के लिए तत्पर है।

उद्योग समूह द्वारा लंबे समय से विभिन्न कानूनों को अपराधमुक्त करने मांग:

- भारतीय उद्योग समूह लंबे समय से विभिन्न कानूनों को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता का सुझाव देता रहा है क्योंकि इससे निवेश माहौल अवरुद्ध होता है।

- कार्यस्थल पर संचालन से संबंधित मामूली अपराधों के कारण कंपनियों के निदेशकों और यहाँ तक कि कुछ मामलों में स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इसने कारोबारी माहौल को बिगाड़ दिया था और कई लोगों को अपनी वास्तविक सामर्थ्य का पूरी तरह से उपयोग करने से रोक दिया था।
- यह अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री के विश्वासों और विचारों की भावना में निहित है जिसे उन्होंने 2016 में व्यक्त किया था: "...***भारत के नागरिकों पर भरोसा करना महत्वपूर्ण था।***" किसी भी विनियमन का विश्वास पर आधारित होना महत्वपूर्ण है और उस विश्वास को तोड़ने पर भारी जुर्माना देना होगा।

गैरअपराधीकरण पहल वैश्विक व्यापार व्यवस्था के अनुकूल:

- यह अधिनियम नियामक ढांचे को सरल बनाता है और व्यवसायों विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर बोझ कम करता है जिन्हें अक्सर रोजमर्रा के कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे ऐसे परिवर्तनों के प्रमुख लाभार्थी होंगे और इनसे उन्हें अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक समान अवसर मिलेंगे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- अधिनियम के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक जुर्मानों में व्यापक संशोधन है। पारंपरिक दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से हटकर इस विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर अधिक जुर्माना दंड को व्यवस्था है। कारावास सजाओ की बजाय वित्तीय कुपरिणामों पर जोर देकर यह विधेयक नियामक ढांचे में समकालीन वैश्विक रुखों के अनुरूप है और अनुपालन के उल्लंघन के आर्थिक परिणाम पर चल देता है।
- वैश्विक रुख के साथ यह तालमेल वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत के एकीकरण के लिए आवश्यक है और साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को उजागर करता है और सुगम व्यापार संबंधों को बढ़ावा देता है।

फिक्की द्वारा अपराध मुक्तिकरण के लिए सुझाए गए कुछ बुनियादी सिद्धांत:

- निदेशकों (कम से कम स्वतंत्र निदेशकों) को परिचालन संबंधी अनुपालनों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- तकनीकी चुको/त्रुटियों के लिए कोई आपराधिक देयता नहीं केवल वित्तीय जुर्माना।
- अधिकांश कानूनों में पहली बार अपराध करने पर कोई आपराधिक देयता नहीं।
- आगामी अनुपालन उल्लंघनों के लिए निवारक के रूप में श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली।
- किए गए अपराधों के लिए आपराधिक मनःस्थिति प्रमाणित करना।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- डीपीआईआईटी इस कवायद के अगले चरण यानी जन विश्वास 2.0 के तहत छोटे आपराधिक प्रावधानों की पहचान और मूल्यांकन करने और उन्हें अपराध मुक्त करने की प्रक्रिया में हैं। जन विश्वास 2.0 की यह कवायद जन विश्वास अधिनियम, 2023 को आगे बढ़ाएगी और अपने पूर्ववर्ती प्रयोग से सीख लेगी।

भावी योजना:

- जन विश्वास अधिनियम, 2023 भारत में अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
- आगामी प्रयासों में राज्य स्तर पर आपराधिक स्थिति को हटाने से सम्बंधित मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विधानों के अधिभावी अस्तित्व के कारण राज्य सरकारें छोटे आपराधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने में असमर्थ हैं।
- हाल ही में जैसा कि मीडिया में बताया गया है हरियाणा सरकार ने अधिनियमों/ नियमों में निर्धारित कुछ बोझिल अनुपालनों को कम करके नागरिकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कानूनों को अपराध से मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी है।

भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता:

परिचय:

- भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता फिल्म निर्माताओं को उनकी परियोजनाओं की शूटिंग और उन्हें पूरा करने के लिए एक सहायक और मैत्रीपूर्ण इकोसिस्टम प्रदान करने का एक प्रयास है।

- यह उन्हें विश्व के अन्य स्थानों की तुलना में कम लागत पर फिल्म निर्माण संसाधनों के विशाल पर्यावरण-क्षेत्र का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह पूरे भारत में सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता प्रतिभाशाली उत्पादन संसाधन के साथ-साथ प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं की एक श्रृंखला के साथ विभिन्न फिल्मांकन केंद्र प्रदान करता है।

भारत में विदेशी फिल्म निर्माण का माहौल:

- भारत का भूगोल एक विदेशी फिल्म निर्माता को देश के रेगिस्तानों नदियों पहाड़ों, समुद्र तटों, ग्रामीण और शहरी परिदृश्यों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- भारत में दर्शकों का एक ऐसा वर्ग भी है, जो सिनेमा को पसंद करता है और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में अपने शहर कस्बों और स्थानीय दृश्यों को देखना पसंद करता है। ये सभी कारक विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए भारत को आदर्श फिल्म गंतव्य बनाते हैं।

फिल्म सुविधा कार्यालय (FFO):

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के तहत 2015 में फिल्म सुविधा कार्यालय (FFO) की स्थापना की।
- भारत में अन्य देशों के फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के संदर्भ में प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है।

देश में फिल्म निर्माण की सुगमता के लिए उपाय:

- देश में फिल्म निर्माण की सुगमता की प्रणाली निम्नलिखित उपायों के माध्यम से काम करती है:

1. फिल्म शूटिंग और रेकी के लिए विदेशी फिल्म निर्माताओं को फिल्म (एफ) वीजा जारी करना

2. विदेशों में भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
3. फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली
4. विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म उपकरणों को लाने की सुविधा प्रदान करना
5. निम्नलिखित को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना-
   क. भारत में शूटिंग कर रहे विदेशी फिल्म निर्माताओं को
   ख. आधिकारिक तौर पर भारतीय साझेदार के साथ फिल्मों का सह-निर्माण करने वाले फिल्म निर्माताओं को
6. स्वतः रूट से एफडीआई

फिल्म वीजा जारी करना:

- केंद्र सरकार ने 2016 में विदेशी प्रोडक्शन के कलाकारों और उनके सहयोगियों के लिए फिल्म (F) वीजा नामक एक विशेष श्रेणी के वीजा की शुरुआत की है जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म निर्माण की अनुमति दी गई है।
- यह वीजा एक साल के मल्टीपल-एंट्री वीजा के रूप में दिया जा सकता है।

विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन योजना:

- भारत में ऑडियो विजुअल क्षेत्र को 'चैंपियन सर्विसेज सेक्टर' के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो क्षेत्रीय पहलों का समर्थन करने के लिए सरकार की एक व्यापक योजना है।
- इस योजना के तहत, मंत्रालय ने उन विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, जो भारत में अपनी फिल्मों का निर्माण करना चाहते हैं।
- संशोधित योजना के अनुसार, विदेशी प्रोडक्शन भारत में किए गए योग्य उत्पादन व्यय के 40 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी, जो 30 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन होगी।

फिल्म शूटिंग का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव:

- फिल्म शूटिंग का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। इस उद्योग से जुड़े एक अध्ययन के अनुसार, 80 करोड़ रुपये के बॉक्स ऑफिस संग्रह के साथ एक मध्यम-बड़े बजट की फिल्म पर्यटन से 80 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सकती है, और प्रोडक्शन टीम के आकार से 37 गुना अधिक पर्यटन संबंधी रोजगार का सृजन कर सकती है।

- यह माना जाता है कि फिल्म से पर्यटकों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- फिल्म निर्माण की सुगमता से देश में अधिक विदेशी परियोजनाएं आती हैं, जिससे फिल्म निर्माण में शामिल विभिन्न कौशल-समूहों के लिए स्थानीय नौकरियों का सृजन; पर्यटन स्थलों की विशेषता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन को बढ़ावा और पर्यटन से जुड़ी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।